संख्या-116/2017/आर-1269/26-3-2017-4(77)/99टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-14708/(एम.बी.)/2016 उपनेश कुमार बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.02.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-563/सक/शिक्षा-अ/04/72/2017-18 दिनांक-03.05.2017 एवं पत्रांक-1283/स.क./शिक्षा-अ/04/72/2017-18, दिनांक-30.05.2017 एवं निदेशालय पत्राक-1528/स.क./विधि प्रकोष्ठ/2017-18, दिनांक-27.07.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-22.02.2017 के अनुपालन में याची छात्र श्री उपनेश कुमार को सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु पूर्व में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त बढ़ी हुई देय धनराशि रूपया-12,35000/-(रूपया बारह लाख पैतिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति निर्गत कर आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त धनराशि के भुगतान की अनुमति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहें।

भवदीय,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-116/2017/आर-1269(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अमेठी।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in